फाइल सं. एन-11013/22/2016-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय विकेंद्रीकरण प्रभाग)

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 नवंबर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2016 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(आर शिवकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ैक्स: 011-23753812

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,
1. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य/प्रतिभागी।
2. सभी राज्यों के सचिव/ प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रति:

1. एसपीआर के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. एएस (एकेजी) के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव (एसकेपी) के प्रधान निजी सचिव
4. निदेशक (एफडी) के निजी सचिव

पंचायती राज मंत्रालय की चौदहवां वित्त आयोग समन्वय समिति की दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के 08 अक्टूबर, 2015 के दिशानिर्देशों के आधार पर पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा गठित समन्वय समिति की तीसरी बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एसपीआर) की अध्यक्षता में दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में *भाग लेनेवाले प्रतिभागियों की सूची* ***अनुलग्नक-I*** *में दी गई है।*

2. समिति ने दिनांक 21.07.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. सर्वप्रथम, एसपीआर ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और सूचित किया कि व्यय विभाग के दिनांक 01/09/2016 के निर्णय के अनुसार, राज्यों को बुनियादी अनुदान की आगे की किस्तें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर तथा पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की अनुशंसा पर जारी की जाएंगी।

4. बुनियादी अनुदान जारी करने की स्थिति की समीक्षा की गई। समिति को यह जानकारी दी गई कि असम और गोवा राज्यों ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बुनियादी अनुदान (बीजी) की पहली किस्त हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराया है। इन दोनों राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब के मुद्दे के संदर्भ में, यह बताया गया कि चूंकि राज्य अनुदान की निधियां प्राप्त करने की तारीख से 15 दिनों से अधिक देरी पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, इसलिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण में जितनी अधिक देरी होगी, राज्य सरकारों पर दंडात्मक ब्याज की देयता उतनी ही अधिक होगी।

इसलिए, एसपीआर ने असम और गोवा राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों को तत्काल अनुदान जारी करने और यूसी जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी किस्त जारी की जा सके। समिति ने इस बात को भी नोट किया कि 13 राज्यों ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बुनियादी अनुदान (बीजी) की पहली किस्त आहरित कर ली है तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और छह राज्यों को किस्त जारी करने की सिफारिश की गई है। उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करना, ग्राम पंचायतों को अनुदान का विलंबित हस्तांतरण करना, ब्याज का भुगतान न करना आदि सहित विभिन्न कारणों के चलते शेष 7 राज्यों के लिए अनुशंसा नहीं की गई। बुनियादी अनुदान (बीजी) जारी करने की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है। **[कार्रवाई: एमओपीआर; 7 राज्य]**

5. यह पाया गया कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बुनियादी अनुदान के हकदारी का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन कम संख्या में किया है। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी हकदारी के अनुदान प्राप्त करने के लिए शेष ग्राम पंचायतों के गठन की कार्रवाई करें। **(कार्रवाई: कर्नाटक; उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)**

6. चौदहवें वित्त आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 हेतु निष्पादन अनुदान (पीजी) जारी करने के लिए अनुशंसा पर विचार :

समिति ने इस बात पर गौर किया कि 21 राज्यों यानी, आंध्र प्रदेश; अरुणाचल प्रदेश; छत्तीसगढ़; गोवा; गुजरात; हरियाणा; हिमाचल प्रदेश; जम्मू एवं कश्मीर; कर्नाटक; मध्य प्रदेश; मणिपुर; महाराष्ट्र; ओडिशा; पंजाब; राजस्थान; सिक्किम; तेलंगाना; त्रिपुरा; तमिलनाडु; उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान (पीजी) के संवितरण के लिए अधिसूचित योजनाएं प्रस्तुत की हैं। समिति ने इस बात पर भी गौर किया कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और वित्त मंत्रालय के दिनांक 8-10-2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान का संवितरण निम्नलिखित दो पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा:

(i) ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो उस वर्ष अर्थात जिस वर्ष में ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती हैं, से दो वर्ष पहले के न हों।

(ii) ग्राम पंचायतों को पिछले वर्षों की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि उनके लेखापरीक्षित लेखा में परिलक्षित हो।

समिति ने निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए 21 राज्यों द्वारा तैयार किए गए परिचालन मानदंडों से संबंधित स्कीमों पर विचार-विमर्श किया और यह पाया कि राज्यों ने निष्पादन अनुदान के वितरण के लिए दो निर्धारित शर्तों के अलावा, अतिरिक्त अनिवार्य पात्रता मानदंड लागू किए हैं, जो चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नहीं हैं।

समिति ने यह राय व्यक्त की कि अतिरिक्त अनिवार्य पात्रता मानदंड लागू नहीं किया जा सकता और इसलिए, उपर्युक्त 21 राज्यों को निष्पादन अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई और राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पात्र ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट केवल दो पात्रता मानदंड लागू करें।

फिर भी, राज्य चौदहवें वित्त आयोग के 08/10/2015 के दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार पात्र ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन के परिमाण सहित विस्तृत कार्यविधि और परिचालन मानदंड तय करें।

एसपीआर ने कहा की यह वर्तमान स्थिति है, लेकिन मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। इस बीच, राज्यों को मंत्रालय के ऑनलाइन डैशबोर्ड के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके लिए उनके पास अनुमोदित कार्यों, उनकी प्रगति और आवंटनों के विपरीत किए गए व्यय की ग्राम पंचायत-वार रियल टाइम सूचना होनी चाहिए। राज्यों को यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि वे एमआईएस विकसित करें ताकि संकलित की गई सूचना को इस मंत्रालय के डैशबोर्ड पर अपलोड किया जा सके। चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान की भौतिक और वित्तीय संस्वीकृति की जिला और राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि शेष पांच राज्यों अर्थात, असम; बिहार; झारखंड; केरल और उत्तराखंड को निष्पादन अनुदान जारी करने हेतु समन्वय समिति द्वारा विचार/अनुशंसा के लिए योजनाएं 31 अक्टूबर, 2016 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। **[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय /असम राज्य; बिहार; झारखंड; केरल और उत्तराखंड]**

7. अन्य मुद्दे:

(i) ***चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों को अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ जोड़ना***

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। उचित विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने सुझाव दिया कि चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के तहत गतिविधियों और अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की दक्षता और सार्थक परिणाम प्राप्त करने, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अत:, चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट के तहत अनुमत्त गतिविधियों के लिए अन्य योजनाओं के साथ जोड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान के व्यय के संबंध में उचित लेखा अलग से कायम किए जा रहे हैं। इस संबंध में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग के परामर्श से स्पष्टीकरण जारी किए जाएं। **[कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय/सभी राज्य]**

(ii) भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान (आईपीएआई) द्वारा तैयार किए गए राज्य विशिष्ट बजट, लेखा और लेखापरीक्षा नियमवलियों का अंगीकरण

समिति को सूचित किया गया कि अब तक केवल चार राज्यों, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब ने भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान (आईपीएआई) द्वारा तैयार किए गए राज्य विशिष्ट बजट, लेखा और लेखापरीक्षा नियमावलियों (मैनुअल) को अंगीकृत किया गया है। समिति ने यह कहा कि शेष राज्य अपने कानूनी ढांचे में नियमवलियों को अंगीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। मंत्रालय को इससे आईपीएआई को अंतिम/शेष भुगतान जारी करने और परामर्श कार्य बंद करने में भी सहायता मिलेगी। **[कार्रवाई: महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर, सभी राज्य]**

(iii) चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करते हुए किए गए व्यय की प्रगति की निगरानी

एसपीआर ने इस बात पर बल दिया कि ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों के आवंटन/जारी करने और क्षेत्र-वार व्यय के बारे में विवरणों को अभिग्रहित करने की आवश्यकता है ताकि सभी को चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के मूर्त परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। एसपीआर ने प्लानप्लस एप्लिकेशन के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन एमआईएस डैशबोर्ड को अद्यतित करने और राज्य विशिष्ट एमआईएस एप्लिकेशन, यदि कोई हो, को पंचायती राज मंत्रालय के एमआईएस के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया ताकि रियल टाइम वर्णित सूचना को अभिग्रहित किया जा सके। **[कार्रवाई: सभी राज्य]**

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक संपन्न हुई।

अनुलग्नक –I

पंचायती राज मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष, जे. पी. बिल्डिंग, नई दिल्ली में दिनांक 20.10.2016 को 11:00 बजे आयोजित समन्वय समिति की तीसरी बैठक

प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	**नाम एवं पदनाम**	**कार्यालय/मंत्रालय**
1.	श्री जे. एस. माथुर, सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
2.	श्री ए. के. गोयल, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
3.	श्री संजीब कुमार पाटजोशी, संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
4.	श्री एस. एस. प्रसाद, निदेशक (एफडी)	पंचायती राज मंत्रालय
5.	श्री दिलीप कुमार, निदेशक (वित्त)	पंचायती राज मंत्रालय
6.	श्री आर शिवकुमार, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
7.	श्री एन. पी. टोप्पो, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
8.	श्री एस. के. मान, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली
9.	श्री सरस्वती प्रसाद, अपर सचिव	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली
10.	श्री वी. बी. प्यारेलाल, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं आरडी	असम सरकार, दिसपुर
11.	श्री सी. के. तिवारी, प्रमुख सचिव, पीआर विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
12 .	श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक (एफसीडी)	व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
13.	श्री एम. मनोहर सिंह, अपर निदेशक, अनुसंधान एवं विकास और पीआर विभाग	तमिलनाडु सरकार
14.	श्री आर. बी. कौल, सहायक निदेशक (एफसीडी)	व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
15.	डॉ. वाई. भास्कर राव, प्रोफेसर एवं प्रमुख सीडीपी	एनआईआरडी एण्ड पीआर, हैदराबाद
16 .	डॉ. संदीप ठाकुर, एसआरओ	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए), नई दिल्ली

*****

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) हेतु राज्य सरकारों को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित बुनियादी अनुदान का आवंटन और जारी की गई निधियां (26-09-2016 तक)

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य	2015-16						2016-17					
		*वार्षिक आवंटन	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि			राशि जारी करने की तिथि		*वार्षिक आवंटन	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि			राशि जारी करने की तिथि	
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त		पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	**(10)**	(11)	**(12)**	**(13)**	**(14)**
1	#आंध्र प्रदेश	934.34	467.17	461.24	928.41	30.06.2015	08.02.2016	1293.75	**642.77**	0.00	642.77	18.07.2016	
2	अरुणाचल प्रदेश	88.52	44.26	44.26	88.52	18.08.2015	15.06.2016	122.58	**0.00**	0.00	0.00		
3	असम	584.80	292.40	0.00	29240	18.08.2015	शून्य	809.76	**0.00**	0.00	0.00		
4	बिहार	2269.18	1134.59	1134.59	2269.18	30.06.2015	23.03.2016	3142.08	**0.00**	0.00	0.00		
5	छत्तीसगढ	566.18	283.09	283.09	566.18	29.07.2015	11.12.2015	783.98	**0.00**	0.00	0.00		
6	गोवा	14.44	7.22	0.00	7.22	13.07.2015	शून्य	20.00	0.00	0.00	0.00		
7	गुजरात	932.25	466.13	466.12	932.25	18.08.2015	08.01.2016	1290.86	645.43	0.00	645.43	20.06.2016	
8	हरयाणा	419.28	209.64	209.64	419.28	30.06.2015	01.02.2016	580.57	290.29	0.00	290.29	27.06.2016	
9	हिमाचल प्रदेश	195.39	97.70	97.69	195.39	27.08.2015	08.01.2016	270.56	135.28	0.00	135.28	15.06.2016	
10	#जम्मू और कश्मीर	373.96	186.98	180.74	367.72	13.07.2015	16.03.2016	517.81	0.00	0.00	0.00		
11	झारखण्ड	652.83	326.42	326.41	652.83	29.07.2015	31.03.2016	903.96	451.98	0.00	451.9S	04.07.2016	
12	कर्नाटक	1002.85	501.43	470.93	972.36	29.07.2015	31.03.2016	1388.62'	684.16	0.00	684.16	21.07.2016	
13	केरल	433.76	216.88	216.88	433.76	13.07.2015	02.06.2016	600.62	0.00	0.00	0.00		
14	मध्य प्रदेश	1463.61	731.81	731.80	1463.61	13.07.2015	18.02.2016	2026.62	1013.31	0.00	1013.31	16.09.2016	
15	महाराष्ट्र	1623.32	811.66	811.66	1623.32	30.06.2015	20.11.2015	2247.77	1123.88	0.00	1123.88	26.08.2016	
16	मणिपुर	22.25	11.13	11.12	22.25	30.06.2015	01.02.2016	30.80	0.00	0.00	0.00		
17	ओडिशा	955.52	477.76	477.76	955.52	13.07.2015	01.02.2016	1323.09	661.55	0.00	661.55	10.06.2016	
18	पंजाब	441.70	220.85	220.85	441.70	30.06.2015	02.06.2016	611.61	0.00	0.00	0.00		
19	राजस्थान	1471.95	735.98	735.97	1471.95	18.08.2015	15.12.2015	2038.17	1019.09	0.00	1019.09	30.06.2016	
20	सिक्किम	16.03	8.02	8.02	16.04	30.06.2015	20.11.2015	22.20	0.00	0.00	0.00		
21	तमिलनाडु	947.65	473.83	473.82	947.65	13.07.2015	18.02.2016	1312.19	656.10	0.00	656.10	15.06.2016	
22	तेलंगाना	580.34	290.17	290.17	580.34	29.07.2015	08.02.2016	803.58	0.00	0.00	0.00		
23	त्रिपुरा	36.24	18.12	18.12	36.24	30.06.2015	08.01.2016	50.18	25.09	0.00	25.09		26.08.2016
24	#उत्तर प्रदेश	3862.60	1931.30	1921.30	3852.60	23.10.2015	31.03.2016	5348.45	0.00	0.00	0.00		

25	उत्तराखंड	203.26	101.63	101.63	203.26	13.07.2015	18.02.2016	281.45	140.73	0.00	140.73	07.06.2016	
26	पश्चिम बंगाल	1532.21	735.43	0.00	735.43	18.08.2015	शून्य	2121.61	**0.00**	0.00	0.00		
	कुल	**21624.46**	**10781.60**	**9693.81**	**20475.41**			**29942.87**	**7489.64**	**0.00**	**7489.64**		

नोट: यह सूचना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए की गई निधियों से संबंधित आदेशों के आधार पर संकलित की गई है।

* चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यथानुपात में जारी की गई निधियां।

****